

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

61

प्र. क्र. /2016 (रिव्यू)

1. श्रीमती काशीबाई वेवा स्व. वल्देव दांगी
2. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री वल्देव दांगी नि.-
ग्राम पड़ोनिया तह. ब्यावरा जिला राजगढ़
3. श्रीमती प्रेमबाई पिता स्व. वल्देव दांगी पत्नी
शिवाजी राम दांगी निवासी- ग्राम मोई तह.
नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़
4. श्रीमती चन्दाबाई पुत्री स्व वल्देव दांगी
निवासी- ग्राम भगवतीपुर तह. ब्यावरा
जिला राजगढ़
5. म प्र. शासन द्वारा कलेक्टर राजगढ़

.....आवेदकगण

बनाम

आलोक कुमार पिता स्व. श्री धर्मचन्द्र डागा,
निवासी - मेन मार्केट ब्यावरा तह. ब्यावरा
जिला राजगढ़ म.प्र.अनावेदक

पुर्नवलोकन ओवदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू. रा. सं. विरुद्ध आदेश दिनांक 04.08.

2016 द्वारा पारित अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल प्र. क्र. 4128/III / निगरानी

श्री पी.के. शर्मा
द्वारा आज दि. 6-12-16 को
प्रस्तुत

वल्देव
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

703
6-12-16

श्री
6-12-2016

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक स्थान तथा दिनांक	रिव्यु 4144-पीबीआर/16 कार्यवाही तथा आदेश	जिला राजगढ़ पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-4-2017	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 4128-तीन/15 में पारित आदेश दिनांक 4-8-16 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । <p>आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है ।</p> <p>2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>